न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–24/2020 (2020/00065) दर्ज दिनांक 28.10.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. किशनलाल पिता मांगु जाट
2. नोसर पुत्री मांगु जाट
3. गुलाबी बेवा मांगु जाट

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पिता डालु जाट
2. देवजी पिता मगना जाट
3. श्रीराम पित देवीलाल जाट
4. अम्बालाल पिता श्रीराम जाट
5. बद्री पिता घीसु जाट
6. नानु पिता मांगी लाल जाट
7. रतन पिता गोपीलाल नाई
8. कैलाश पित गोपीलाल नाई
9. सीता पत्नी गोपीलाल नाई
10. नारायण पिता डालचन्द नाई
11. पप्पु पिता डालचन्द नाई
12. श्यामलाल पित डालचन्द नाई
13. मोहन पिता डालचन्द नाई
14. उदयराम पिता बालु नाई
15. रणजीत पिता बालु नाई
16. मुकेश पिता बालु नाई
17. चतुर्भुज पिता किशोर नाई
18. नारू पिता चुना नाई

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:27 IST
Reason: SelfAttested

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री [illegible]जमल तिवारी

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–24 / 2020 (2020 / 00065)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–29.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 3122 रकबा 0.63 हे0, 3123 रकबा 0.19 हे0, 3203 रकबा 0.70 हे0, 3204 रकबा 0.70 हे0, 3209 रकबा 0.83 हे0, 3210 रकबा 0.50 हे0, 3211 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.39 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 73 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 3122 रकबा 0.63 हे0, 3123 रकबा 0.19 हे0, 3203 रकबा 0.70 हे0, 3204 रकबा 0.70 हे0, 3209 रकबा 0.83 हे0, 3210 रकबा 0.50 हे0, 3211 रकबा 0.84 हे0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.39 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 73 पर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं।

उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1250/– (एक हजार दो सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1250/– (एक हजार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner